

185

©

भारत सरकार  
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय



प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्ववीय स्थल  
और अवशेष अधिनियम, 1958

(1958 का अधिनियम संख्यांक 24)

[1 जून, 1979 को यथाविद्यमान]

The Ancient Monuments and Archaeological  
Sites and Remains Act, 1958

(ACT No. 24 OF 1958)

[As on the 1st June, 1979]

1979

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बतूर द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन:  
नियन्त्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित।

मूल्य : (देश में) रु० 2.90 (विदेश में) पौड 0.34 या \$ 1.05

9131081

G.L.

## PREFACE TO THE FIRST EDITION

This is a diglot edition of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 as on the 1st January, 1972 containing the authoritative Hindi text thereof along with its English text. The Hindi text of the Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1A, No. 41, Vol. VI, dated 21st August, 1970 on pages 689 to 705.

This Hindi text was prepared by the Official Language (Legislative) Commission and it was published under the authority of the President under section 5(1) of the Official Languages Act, 1963, and on such publication, it became the authoritative text of that Act in Hindi.

NEW DELHI,  
1ST JANUARY, 1972.

N. D. P. NAMBOODIRIPAD  
*Joint Secretary to the Government of India.*

## PREFACE TO THE SECOND EDITION


As all the copies of the first diglot edition of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) have been sold the second edition is being published, incorporating the amendments made in it till 1st June, 1979. The present edition also gives legislative history of the Act.

NEW DELHI,  
1ST JUNE, 1979.

R. V. S. PERI SASTRI,  
*Secretary to the Government of India.*

## AMENDING ACT

The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972).



### प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

यह 1 जनवरी, 1972 को यथाविद्यमान प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 का द्विभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया गया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 21 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 41, खण्ड VI में पृष्ठ 689 से 705 में प्रकाशित हुआ था।

इस हिन्दी पाठ को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होने पर, उस अधिनियम का अब यह हिन्दी में प्राधिकृत पाठ है।

नई दिल्ली;  
1 जनवरी, 1972

एन० डी० पी० नम्बूदिरिपाद,  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

### द्वितीय संस्करण का प्राक्कथन

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्यांक 24) के प्रथम द्विभाषीय संस्करण की प्रतियां बिक गई हैं इसलिए इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में 1 जून, 1979 तक के सभी संशोधनों का समावेश कर दिया गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास भी दिया गया है।

नई दिल्ली,  
1 जून, 1979

रू० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री,  
सचिव, भारत सरकार।

### संशोधन अधिनियम

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52)।

For AS 2-90  
Ministry of Publications (Ministry of W&H), Delhi. U.I. No. SI/3723

70-201  
92

✓

# THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1958

---

## ARRANGEMENT OF SECTIONS

---

### PRELIMINARY

#### SECTIONS

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

#### ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS OF NATIONAL IMPORTANCE

3. Certain ancient monuments, etc., deemed to be of national importance.
4. Power of Central Government to declare ancient monuments, etc., to be of national importance.

#### PROTECTED MONUMENTS

5. Acquisition of rights in a protected monument.
6. Preservation of protected monument by agreement.
7. Owners under disability or not in possession.
8. Application of endowment to repair a protected monument.
9. Failure or refusal to enter into an agreement.
10. Power to make order prohibiting contravention of agreement under section 6.
11. Enforcement of agreements.
12. Purchasers at certain sales and persons claiming through owner bound by instrument executed by owner.
13. Acquisition of protected monuments.
14. Maintenance of certain protected monuments.
15. Voluntary contributions.
16. Protection of place of worship from misuse, pollution or desecration.
17. Relinquishment of Government rights in a monument.
18. Right of access to protected monuments.

# प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958

धाराओं का क्रम

## प्रारम्भिक

धाराएं	पृष्ठ
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ . . . . .	1
2. परिभाषाएं। . . . .	1
<b>राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन संस्मारक और पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष</b>	
3. कतिपय प्राचीन संस्मारकों आदि का राष्ट्रीय महत्व के होना समझा जाना	3
4. प्राचीन संस्मारकों आदि को राष्ट्रीय महत्व के होना घोषित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति . . . . .	3
<b>संरक्षित संस्मारक</b>	
5. संरक्षित संस्मारक में अधिकारों का अर्जन . . . . .	4
6. संरक्षित संस्मारक का करार द्वारा परिरक्षण] . . . . .	4
7. नियोग्यताधीन या कब्जाविहीन स्वामी . . . . .	5
8. संरक्षित संस्मारक की मरम्मत के लिए विन्यास का उपयोग . . . . .	6
9. करार करने में असफलता या करार करने से इंकार . . . . .	6
10. धारा 6 के अधीन के करार का उल्लंघन प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश करने की शक्ति . . . . .	6
11. करारों का प्रवर्तन . . . . .	7
12. कतिपय विक्रयों के क्रेताओं और स्वामी से व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों का स्वामी द्वारा निष्पादित लिखंत से आवद्ध होना . . . . .	7
13. संरक्षित संस्मारकों का अर्जन . . . . .	7
14. कतिपय संरक्षित संस्मारकों का अनुरक्षण . . . . .	7
15. स्वैच्छिक अभिदाय . . . . .	7
16. दुरुपयोग किए जाने, प्रदूषित किए जाने या अपवित्र किए जाने से पूजा के स्थान का संरक्षण . . . . .	8
17. किसी संस्मारक में सरकार के अधिकारों का त्याग . . . . .	8
18. संरक्षित संस्मारकों तक पहुंच का अधिकार . . . . .	8

## SECTIONS

## PROTECTED AREAS

19. Restrictions on enjoyment of property rights in protected areas.
20. Power to acquire a protected area.

## ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS

21. Excavations in protected areas.
22. Excavations in areas other than protected areas.
23. Compulsory purchase of antiquities, etc., discovered during excavation operations.
24. Excavations, etc., for archaeological purposes.

## PROTECTION OF ANTIQUITIES

25. Power of Central Government to control moving of antiquities.
26. Purchase of antiquities by Central Government.

## PRINCIPLES OF COMPENSATION

27. Compensation for loss or damage.
28. Assessment of market value or compensation.

## MISCELLANEOUS

29. Delegation of powers.
30. Penalties
31. Jurisdiction to try offences.
32. Certain offences to be cognizable.
33. Special provision regarding fine.
34. Recovery of amounts due to the Government.
35. Ancient monuments, etc., which have ceased to be of national importance.
36. Power to correct mistakes, etc.
37. Protection of action taken under the Act.
38. Power to make rules.
39. Repeals and savings.

धाराएं

पृष्ठ

**संरक्षित क्षेत्र**

19. संरक्षित क्षेत्रों में सम्पत्ति अधिकारों के उपभोग पर निर्बन्धन . . . . . 8  
20. संरक्षित क्षेत्र को अर्जित करने की शक्ति . . . . . 9

**पुरातत्त्ववीय उत्खनन**

21. संरक्षित क्षेत्रों में उत्खनन . . . . . 9  
22. संरक्षित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में उत्खनन . . . . . 9  
23. उन पुरावशेषों आदि का अनिवार्य क्रय जिनका पता उत्खनन संक्रियाओं के दौरान चलता है . . . . . 9  
24. पुरातत्त्ववीय प्रयोजनों के लिए उत्खनन आदि . . . . . 10

**पुरावशेषों का संरक्षण**

25. पुरावशेषों का हटाया जाना नियंत्रित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति . . . . . 10  
26. केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरावशेषों का क्रय . . . . . 10

**प्रतिकर के सिद्धान्त**

27. हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर . . . . . 10  
28. बाजार-भाव या प्रतिकर का निर्धारण . . . . . 11

**प्रकीर्ण**

29. शक्तियों का प्रत्यायोजन . . . . . 11  
30. शास्तियां . . . . . 11  
31. अपराधों के विचारण की अधिकारिता . . . . . 12  
32. कतिपय अपराधों का संज्ञेय होना . . . . . 12  
33. जुर्माने के संबंध में विशेष उपबन्ध . . . . . 12  
34. सरकार को शोध्य रकमों की वसूली . . . . . 12  
35. प्राचीन संस्मारक आदि जो राष्ट्रीय महत्व के नहीं रहे हुए हैं . . . . . 12  
36. भूलों, आदि को शुद्ध करने की शक्ति . . . . . 12  
37. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए परित्राण . . . . . 12  
38. नियम बनाने की शक्ति . . . . . 13  
39. निरसन और व्यावृत्तियां . . . . . 14

# THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1958

(Act No. 24 of 1958)

[28th August, 1958]

An Act to provide for the preservation of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains of national importance, for the regulation of archaeological excavations and for the protection of sculptures, carvings and other like objects.

BE it enacted by Parliament in the Ninth Year of the Republic of India as follows:—

## PRELIMINARY

Short-title, extent  
and commencement

1. (1) This Act may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958:

[(2) It extends to the whole of India.]

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock-sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes—

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of, an ancient monument;



# प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958

(1958 का अधिनियम संख्यांक 24)

[28 अगस्त, 1958]

राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों तथा पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेषों के परिरक्षण का, पुरातत्त्ववीय उत्खननों के विनियमन का, और रूपकृतियों, नक्काशी और अन्य ऐसी वस्तुओं के संरक्षण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के नवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 कहा जा सकेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

[(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।]

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:— परिभाषाएं।

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कीर्ति स्तूप या दफनगाह, या कोई गुफा, शैल-रूपकृति, उत्कीर्ण लेख या एकाग्रक जो ऐतिहासिक, पुरातत्त्ववीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत हैं—

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन ;

1. 1972 के अधिनियम संख्यांक 52 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित।

(b) "antiquity" includes—

- (i) any coin, sculpture, manuscript, epigraph, or other work of art or craftsmanship,
- (ii) any article, object or thing detached from a building or cave,
- (iii) any article, object or thing illustrative of science, art, crafts, literature, religion, customs, morals or politics in bygone ages,
- (iv) any article, object or thing of historical interest, and
- (v) any article, object or thing declared by the Central Government, by notification in the Official Gazette to be an antiquity for the purposes of this Act,

which has been in existence for not less than one hundred years;

(c) "archaeological officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(d) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes—

- (i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
- (ii) the means of access to, and convenient inspection of, the area;

(e) "Director-General" means the Director-General of Archaeology, and includes any officer authorised by the Central Government to perform the duties of the Director-General;

(f) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(g) "owner" includes—

- (i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and
- (ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

- (ख) "पुरावशेष" के अन्तर्गत है कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान—
- (i) कोई सिक्का, रूपकृति, हस्तलेख, पुरालेख या अन्य कलाकृति या कारीगरी का काम,
  - (ii) कोई वस्तु, पदार्थ या चीज जो किसी निर्माण या गुफा से विलग्न है,
  - (iii) कोई वस्तु, पदार्थ या चीज जो गत युगों के विज्ञान, कला, कारीगरियों, साहित्य, धर्म, रूढ़ियों, नैतिक आचार या राजनीति की दृष्टान्तस्वरूप है,
  - (iv) ऐतिहासिक रुचि की कोई वस्तु, पदार्थ या चीज, तथा
  - (v) कोई वस्तु, पदार्थ या चीज जिसका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पुरावशेष होना केन्द्रीय सरकार द्वारा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित किया गया है ;
- (ग) "पुरातत्त्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्त्व अधीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है ;
- (घ) "पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्त्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या परिशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान हैं, और इनके अन्तर्गत हैं—
- (i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
  - (ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन ;
- (ङ) "महानिदेशक" से पुरातत्त्व-महानिदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा महानिदेशक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी है ;
- (च) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित—"अनुरक्षण" के अन्तर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसे पुनरुद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है ;
- (छ) "स्वामी" के अन्तर्गत हैं—
- (i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबन्ध करने की शक्तियां निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा
  - (ii) प्रबन्ध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबन्धक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबन्धक या न्यासी का पद में उत्तरवर्ती ;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(i) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(j) "protected monument" means an ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act.

Construction of references to any law not in force in the State of Jammu and Kashmir.

[2A. Any reference in this Act to any law which is not in force in the State of Jammu and Kashmir shall, in relation to that State, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that State.]

#### ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS OF NATIONAL IMPORTANCE

Certain ancient monuments, etc., deemed to be of national importance.

3. All ancient and historical monuments and all archaeological sites and remains which have been declared by the Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Act, 1951, or by section 126 of the States Reorganisation Act, 1956 to be of national importance shall be deemed to be ancient and historical monuments or archaeological sites and remains declared to be of national importance for the purposes of this Act. <sup>71 of 1951</sup> <sup>37 of 1956.</sup>

Power of Central Government to declare ancient monuments, etc. to be of national importance.

4. (1) Where the Central Government is of opinion that any ancient monument or archaeological site and remains not included in section 3 is of national importance, it may, by notification in the Official Gazette, give two months' notice of its intention to declare such ancient monument or archaeological site and remains to be of national importance; and a copy of every such notification shall be affixed in a conspicuous place near the monument or site and remains, as the case may be.

(2) Any person interested in any such ancient monument or archaeological site and remains may, within two months after the issue of the notification, object to the declaration of the monument, or the archaeological site and remains, to be of national importance.

(3) On the expiry of the said period of two months, the Central Government may, after considering the objections, if any, received by it, declare by notification in the Official Gazette, the ancient monument or the archaeological site and remains, as the case may be, to be of national importance.

- (ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (झ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है ;
- (ञ) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है।

[1] [2क. इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति निर्देश का, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, उस राज्य के संबंध में इस प्रकार अर्थान्वयन किया जाएगा मानो वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्समान विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश है।]

जम्मू-कश्मीर राज्य में अप्रवृत्त विधिके प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन।

### राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन संस्मारक और पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष

3. सभी प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा सभी पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष, जिन्हें एनशियेन्ट एण्ड हिस्टोरिकल मान्यूमेन्ट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स (डिवेलोपमेंट ऑफ नेशनल इस्ट्रीम) ऐक्ट, 1951 द्वारा या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 126 द्वारा राष्ट्रीय महत्व के होना घोषित किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष समझे जाएंगे, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के होना घोषित किया गया है।

कतिपय प्राचीन संस्मारकों आदि का राष्ट्रीय महत्व के होना समझा जाता।

4. (1) जहां कि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई प्राचीन संस्मारक या पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष, जो धारा 3 के अन्तर्गत नहीं आता है, राष्ट्रीय महत्व का है वहां वह ऐसे प्राचीन संस्मारक या पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दे सकेगी और हर ऐसी अधिसूचना की एक प्रति, यथास्थिति, संस्मारक या स्थल और अवशेष के समीप किसी सहजदृश्य स्थान में लगा दी जाएगी।

प्राचीन संस्मारकों आदि को राष्ट्रीय महत्व के होना घोषित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

(2) ऐसे प्राचीन संस्मारक या पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष में हितबद्ध कोई व्यक्ति, अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात् दो मास के भीतर, संस्मारक या पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष के राष्ट्रीय महत्व के होने की घोषणा पर आक्षेप कर सकेगा।

(3) उक्त दो मास की कालावधि के अवसान पर, केन्द्रीय सरकार, उन आक्षेपों के, यदि कोई हों, प्राप्त होने पर विचार करने के पश्चात्, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, प्राचीन संस्मारक या पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष के राष्ट्रीय महत्व के होने की घोषणा कर सकेगी।

1. 1972 के अधिनियम संख्यांक 52 की धारा 33 द्वारा अंतः स्थापित।

1061 का 71  
1080 का 37]

of 1951  
of 1956.

(4) A notification published under sub-section (3) shall, unless and until it is withdrawn, be conclusive evidence of the fact that the ancient monument or the archaeological site and remains to which it relates is of national importance for the purposes of this Act.

## PROTECTED MONUMENTS

Acquisition of rights in a protected monument.

5. (1) The Director-General may, with the sanction of the Central Government, purchase, or take a lease of, or accept a gift or bequest of, any protected monument.

(2) Where a protected monument is without an owner, the Director-General may, by notification in the Official Gazette, assume the guardianship of the monument.

(3) The owner of any protected monument may, by written instrument, constitute the Director-General the guardian of the monument, and the Director-General may, with the sanction of the Central Government, accept such guardianship.

(4) When the Director-General has accepted the guardianship of a monument under sub-section (3), the owner shall, except as expressly provided in this Act, have the same estate, right, title and interest in and to the monument as if the Director-General had not been constituted a guardian thereof.

(5) When the Director-General has accepted the guardianship of a monument under sub-section (3), the provisions of this Act relating to agreements executed under section 6 shall apply to the written instrument executed under the said sub-section.

(6) Nothing in this section shall affect the use of any protected monument for customary religious observances.

Preservation of protected monument by agreement.

6. (1) The Collector, when so directed by the Central Government, shall propose to the owner of a protected monument to enter into an agreement with the Central Government within a specified period for the maintenance of the monument.

(2) An agreement under this section may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the maintenance of the monument;

(b) the custody of the monument and the duties of any person who may be employed to watch it;

(c) the restriction of the owner's right—

(i) to use the monument for any purpose,

(ii) to charge any fee for entry into, or inspection of, the monument,

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना, जब तक और जहां तक कि वह प्रत्याहृत नहीं कर ली जाती, इस तथ्य का निष्चायक साक्ष्य होगी कि वह संस्मारक या पुरातत्त्ववीय स्थल और अवशेष, जिसके संबंध में वह अधिसूचना है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय महत्व का है।

### संरक्षित संस्मारक

5. (1) महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से, किसी संरक्षित संस्मारक का क्रय कर सकेगा, या पट्टा ले सकेगा, या दान या वसीयत प्रतिगृहीत कर सकेगा।

संरक्षित संस्मारक में अधिकारों का अर्जन।

(2) जहां कि कोई संरक्षित संस्मारक बिना स्वामी का है, वहां महानिदेशक, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस संस्मारक की संरक्षकता सम्भाल सकेगा।

(3) संरक्षित संस्मारक का स्वामी, लिखित लिखत द्वारा महानिदेशक को उस संस्मारक का संरक्षक नियत कर सकेगा और महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से ऐसी संरक्षकता प्रतिगृहीत कर सकेगा।

(4) जबकि महानिदेशक ने उपधारा (3) के अधीन किसी संस्मारक की संरक्षकता प्रतिगृहीत कर ली है, तब स्वामी, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, संस्मारक में वही संपदा, अधिकार, हक और हित रखेगा मानो महानिदेशक उसका संरक्षक नहीं नियत किया गया है।

(5) जबकि महानिदेशक ने उपधारा (3) के अधीन किसी संस्मारक की संरक्षकता प्रतिगृहीत कर ली है, तब इस अधिनियम के वे उपबन्ध, जो धारा 6 के अधीन निष्पादित करारों से संबंधित हैं उक्त उपधारा के अधीन निष्पादित लिखित लिखत को लागू होंगे।

(6) इस धारा में की कोई भी बात किसी संरक्षित संस्मारक के, रूढ़िगत धार्मिक आचारों के लिए उपयोग पर प्रभाव नहीं डालेगी।

6. (1) कलक्टर, जबकि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे निर्दिष्ट किया जाए किसी संरक्षित संस्मारक के स्वामी से, संस्मारक के अनुरक्षण के लिए विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर केन्द्रीय सरकार से करार करने के लिए प्रस्थापना करेगा।

संरक्षित संस्मारक का करार द्वारा परिरक्षण।

(2) इस धारा के अधीन का करार निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) संस्मारक का अनुरक्षण ;

(ख) संस्मारक की अभिरक्षा और उस व्यक्ति के कर्तव्य जो उसकी रखवाली करने के लिए नियोजित किया जाए ;

(ग) स्वामी के—

(i) किसी प्रयोजन के लिए संस्मारक का उपयोग करने के,

(ii) संस्मारक में प्रवेश या उसके निरीक्षण के लिए कोई फीस लगाने के,

- (iii) to destroy, remove, alter or deface the monument, or
- (iv) to build on or near the site of the monument;

(d) the facilities of access to be permitted to the public or any section thereof or to archaeological officers or to persons deputed by the owner or any archaeological officer or the Collector to inspect or maintain the monument;

(e) the notice to be given to the Central Government in case the land on which the monument is situated or any adjoining land is offered for sale by the owner, and the right to be reserved to the Central Government to purchase such land, or any specified portion of such land, at its market value;

(f) the payment of any expenses incurred by the owner or by the Central Government in connection with the maintenance of the monument;

(g) the proprietary or other rights which are to vest in the Central Government in respect of the monument when any expenses are incurred by the Central Government in connection with the maintenance of the monument;

(h) the appointment of an authority to decide any dispute arising out of the agreement; and

(i) any matter connected with the maintenance of the monument which is a proper subject of agreement between the owner and the Central Government.

(3) The Central Government or the owner may, at any time after the expiration of three years from the date of execution of an agreement under this section, terminate it on giving six months' notice in writing to the other party :

Provided that where the agreement is terminated by the owner, he shall pay to the Central Government the expenses, if any, incurred by it on the maintenance of the monument during the five years immediately preceding the termination of the agreement or, if the agreement has been in force for a shorter period, during the period the agreement was in force.

(4) An agreement under this section shall be binding on any person claiming to be the owner of the monument to which it relates, from, through or under a party by whom or on whose behalf the agreement was executed.

7. (1) If the owner of a protected monument is unable, by reason of infancy or other disability, to act for himself, the person legally competent to act on his behalf may exercise the powers conferred upon an owner by section 6.

Owners under disability or not in possession.



- (iii) संस्मारक के नष्ट करने, हटाने, परिवर्तित करने या विरूपित करने के, या
- (iv) संस्मारक के स्थल पर या उसके समीप निर्माण करने के, अधिकार का निर्बन्धन ;
- (घ) पहुंच की सुविधाएं जो जनता को या उसके किसी अनुभाग को या पुरातत्त्व अधिकारियों को या स्वामी या किसी पुरातत्त्व अधिकारी या कलक्टर द्वारा संस्मारक के निरीक्षण या अनुरक्षण के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञात की जानी हैं ;
- (ङ) उस दशा में, जिसमें वह भूमि जिस पर संस्मारक स्थित है या उससे लगी हुई भूमि स्वामी द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाती है, वह सूचना जो केन्द्रीय सरकार को दी जानी है और ऐसी भूमि या ऐसी भूमि के किसी विनिर्दिष्ट प्रभाग को उसके बाजार भाव पर क्रय करने का वह अधिकार जिसे केन्द्रीय सरकार के लिए आरक्षित किया जाना है ;
- (च) संस्मारक के अनुरक्षण के संबंध में स्वामी द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उपगत किन्हीं व्ययों का संदाय ;
- (छ) जबकि संस्मारक के अनुरक्षण के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई व्यय उपगत किए जाते हैं, तब वे साम्प्रतिक या अन्य अधिकार जो संस्मारक के विषय में केन्द्रीय सरकार में निहित होने हैं ;
- (ज) करार से उद्भूत होने वाले किसी विवाद का विनिश्चय करने के लिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति, तथा
- (झ) संस्मारक के अनुरक्षण से संबंधित कोई विषय, जो स्वामी और केन्द्रीय सरकार के बीच करार का उचित विषय है।

(3) केन्द्रीय सरकार या स्वामी, इस धारा के अधीन किसी करार के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् किसी समय दूसरे पक्षकार को छह मास की लिखित सूचना देकर उसे समाप्त कर सकेगा :

परन्तु जहां कि करार स्वामी द्वारा समाप्त किया जाता है, वहां वह केन्द्रीय सरकार को, करार की समाप्ति से ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष के दौरान या यदि करार अल्पतरु कालावधि के लिए प्रवृत्त रहा है, तो करार के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान उसके द्वारा संस्मारक के अनुरक्षण पर उपगत व्यय, यदि कोई हों, संदेन करेगा।

(4) इस धारा के अधीन कोई करार, उस पक्षकार के व्युत्पन्न अधिकार से, के द्वारा या के अधीन, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से करार निष्पादित किया गया था, उस संस्मारक का जिसके संबंध में वह करार है स्वामी होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आबद्धकर होगा।

7. (1) यदि संरक्षित संस्मारक का स्वामी, बाल्यावस्था या अन्य नियोग्यता के कारण, अपने लिए कार्य करने में असमर्थ है, तो वह व्यक्ति, जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए त्रिधिक रूप में सक्षम है, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो धारा 6 द्वारा स्वामी को प्रदत्त हैं।

नियोग्यताधीन या कक्षाविहीन स्वामी।

(2) In the case of village property, the headman or other village-officer exercising powers of management over such property may exercise the powers conferred upon an owner by section 6.

(3) Nothing in this section shall be deemed to empower any person not being of the same religion as the person on whose behalf he is acting to make or execute an agreement relating to a protected monument which or any part of which is periodically used for the religious worship or observances of that religion.

Application of endowment to repair a protected monument.

8. (1) If any owner or other person competent to enter into an agreement under section 6 for the maintenance of a protected monument refuses or fails to enter into such an agreement, and if any endowment has been created for the purpose of keeping such monument in repair or for that purpose among others, the Central Government may institute a suit in the court of the district judge, or, if the estimated cost of repairing the monument does not exceed one thousand rupees, may make an application to the district judge, for the proper application of such endowment or part thereof.

(2) On the hearing of an application under sub-section (1), the district judge may summon and examine the owner and any person whose evidence appears to him necessary and may pass an order for the proper application of the endowment or of any part thereof, and any such order may be executed as if it were a decree of a civil court.

Failure or refusal to enter into an agreement.

9. (1) If any owner or other person competent to enter into an agreement under section 6 for the maintenance of a protected monument refuses or fails to enter into such an agreement, the Central Government may make an order providing for all or any of the matters specified in sub-section (2) of section 6 and such order shall be binding on the owner or such other person and on every person claiming title to the monument from, through or under, the owner or such other person.

(2) Where an order made under sub-section (1) provides that the monument shall be maintained by the owner or other person competent to enter into an agreement, all reasonable expenses for the maintenance of the monument shall be payable by the Central Government.

(3) No order under sub-section (1) shall be made unless the owner or other person has been given an opportunity of making a representation in writing against the proposed order.

Power to make order prohibiting contravention of agreement under section 6.

10. (1) If the Director-General apprehends that the owner or occupier of a protected monument intends to destroy, remove, alter, deface, imperil or misuse the monument or to build on or near the site thereof in contravention of the terms of an agreement under section 6, the Director-General may, after giving the owner or occupier an opportunity of making a representation in writing make an order prohibiting any such contravention of the agreement:

(2) ग्राम की सम्पत्ति की दशा में, ऐसी सम्पत्ति पर प्रबन्ध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला ग्रामीण या अन्य ग्राम अधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो धारा 6 द्वारा स्वामी को प्रदत्त हैं।

(3) इस धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उसी धर्म का न हो, जिसका वह व्यक्ति है, जिसकी ओर से वह कार्य कर रहा है, उस संरक्षित संस्मारक के सम्बन्ध में जो या जिसका कोई भाग कालिकतः उस धर्म की धार्मिक पूजा या आचारों के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसी क्रार को करने या निष्पादित करने के लिए सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी।

8. (1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति, जो किसी संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण के लिए धारा 6 के अधीन क्रार करने को सक्षम है, ऐसा क्रार करने से इंकार करता है या करने में असफल रहता है, और यदि ऐसे संस्मारक की मरम्मत करने के प्रयोजन के लिए या अन्य प्रयोजनों में से इस प्रयोजन के लिए भी किसी विन्यास की सृष्टि की गई है, तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे विन्यास या उसके भाग के उचित उपयोजन के लिए, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगी या, यदि संस्मारक की मरम्मत कराने का प्राक्कलित व्यय एक हजार रुपए से अधिक नहीं है, तो जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगी।

संरक्षित संस्मारक की मरम्मत के लिए विन्यास का उपयोजन।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की सुनवाई पर, जिला न्यायाधीश, स्वामी और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका साक्ष्य उसे आवश्यक प्रतीत होता है, समन कर सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा और उस विन्यास या उसके किसी भाग के उचित उपयोजन के लिए आदेश पारित कर सकेगा, और ऐसा कोई आदेश ऐसे निष्पादित किया जाएगा मानो वह किसी सिविल न्यायालय की डिक्री हो।

9. (1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति जो संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण के लिए धारा 6 के अधीन क्रार करने के लिए सक्षम है, ऐसा क्रार करने से इंकार करता है या करने में असफल रहता है, तो केन्द्रीय सरकार धारा 6 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबन्ध करने वाला आदेश कर सकेगी और ऐसा आदेश स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति पर और स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति से व्युत्पन्न अधिकार से, के द्वारा या के अधीन संस्मारक में हुक का दावा करने वाले हर व्यक्ति पर आबद्ध कर होगा।

क्रार करने में असफलता या क्रार करने से इंकार।

(2) जहां कि उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश यह उपबन्ध करता है कि संस्मारक का अनुरक्षण क्रार करने के लिए सक्षम स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, वहां संस्मारक के अनुरक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब के सिवाय नहीं किया जाएगा जब कि स्वामी को या अन्य व्यक्ति को प्रस्तापित आदेश के विरुद्ध लिखित अभिवेदन करने का अवसर दे दिया गया है।

10. (1) यदि महानिदेशक यह आशंका करता है कि किसी संरक्षित संस्मारक का स्वामी या अधिभोगी, धारा 6 के अधीन के क्रार के निबन्धनों के उल्लंघन में संस्मारक को नष्ट करने, हटाने, परिवर्तित करने, विरूपित करने, खतरे में डालने या उसका दुरुपयोग करने या उसके स्थल पर या के समीप निर्माण करने का भाष्य रखता है, तो महानिदेशक, स्वामी या अधिभोगी को लिखित अभिवेदन करने का अवसर देने के पश्चात्, क्रार का ऐसा कोई उल्लंघन प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश कर सकेगा :

धारा 6 के अधीन के क्रार का उल्लंघन प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश करने की शक्ति।

Provided that no such opportunity may be given in any case where the Director-General, for reasons to be recorded, is satisfied that it is not expedient or practicable to do so.

(2) Any person aggrieved by an order under this section may appeal to the Central Government within such time and in such manner as may be prescribed and the decision of the Central Government shall be final.

Enforcement of agreements.

11. (1) If an owner or other person who is bound by an agreement for the maintenance of a monument under section 6 refuses or fails within such reasonable time as the Director-General may fix, to do any act which in the opinion of the Director-General is necessary for the maintenance of the monument, the Director-General may authorise any person to do any such act, and the owner or other person shall be liable to pay the expenses of doing any such act or such portion of the expenses as the owner may be liable to pay under the agreement.

(2) If any dispute arises regarding the amount of expenses payable by the owner or other person under sub-section (1), it shall be referred to the Central Government whose decision shall be final.

Purchases at certain sales and persons claiming through owner bound by instrument executed by owner.

12. Every person who purchases, at a sale for arrears of land revenue or any other public demand, any land on which is situated a monument in respect of which any instrument has been executed by the owner for the time being under section 5 or section 6, and every person claiming any title to a monument from, through or under, an owner who executed any such instrument, shall be bound by such instrument.

Acquisition of protected monuments.

13. If the Central Government apprehends that a protected monument is in danger of being destroyed, injured, misused, or allowed to fall into decay, it may acquire the protected monument under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 as if the maintenance of the protected monument were a public purpose within the meaning of that Act.

1 of 1894

Maintenance of certain protected monuments.

14. (1) The Central Government shall maintain every monument which has been acquired under section 13 or in respect of which any of the rights mentioned in section 5 have been acquired.

(2) When the Director-General has assumed the guardianship of a monument under section 5, he shall, for the purpose of maintaining such monument, have access to the monument at all reasonable times, by himself and by his agents, subordinates and workmen, for the purpose of inspecting the monument and for the purpose of bringing such materials and doing such acts as he may consider necessary or desirable for the maintenance thereof.

Voluntary contributions.

15. The Director-General may receive voluntary contributions towards the cost of maintaining a protected monument and may give orders as to the management and application of any funds so received by him:

परन्तु ऐसा कोई अवसर किसी ऐसी दशा में नहीं भी दिया जा सकेगा, जिसमें महानिदेशक का उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि वैसे करना समीचीन या साध्य नहीं है।

(2) इस धारा के अधीन के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अपील कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

11. (1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति जो धारा 6 के अधीन संस्मारक के अनुरक्षण के लिए करार द्वारा आबद्ध है, कोई ऐसा कार्य, जो महानिदेशक की डाय में संस्मारक के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो महानिदेशक नियत करे, करने से इंकार करता है या करने में असफल रहता है, तो महानिदेशक ऐसा कोई कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, और स्वामी या अन्य व्यक्ति किसी ऐसे कार्य करने के व्यर्थों या व्यर्थों के ऐसे प्रभाग के, जिसके संदाय के लिए स्वामी करार के अधीन दायी हो, संदाय के लिए दायी होगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय व्यर्थों की रकम की बाबत कोई विवाद उद्भूत होता है, तो वह केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

12. हर व्यक्ति जो भू-राजस्व की बकाया या अन्य किसी लोक मांग के लिए विक्रय पर, उस भूमि का क्रय करता है जिस पर ऐसा संस्मारक स्थित है जिसके बारे में धारा 5 या धारा 6 के अधीन तत्समय के स्वामी द्वारा कोई लिखत निष्पादित की गई है, और हर ऐसा व्यक्ति, जो उस स्वामी से व्युत्पन्न अधिकार से, के द्वारा या के अधीन, जिसने कोई ऐसी लिखत निष्पादित की है, संस्मारक पर किसी हक का दावा करता है, ऐसी लिखत से आबद्ध होगा।

13. यदि केन्द्रीय सरकार यह आशंका करती है कि किसी संरक्षित संस्मारक के लुप्त हो जाने, क्षत हो जाने, दुरुपयोग में लाए जाने या क्षयग्रस्त होने दिए जाने का खतरा है, तो वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन उस संरक्षित संस्मारक का अर्जन ऐसे कर सकेगी, मानो संरक्षित संस्मारक का अनुरक्षण उस अधिनियम के अर्थ के भीतर लोक प्रयोजन है।

14. (1) केन्द्रीय सरकार हर ऐसे संस्मारक का अनुरक्षण करेगी, जो धारा 13 के अधीन अर्जित किया गया है या जिसके बारे में धारा 5 में वर्णित अधिकारों में से कोई अर्जित किए गए हैं।

(2) जबकि महानिदेशक ने धारा 5 के अधीन किसी संस्मारक की संरक्षकता संभाली है, तब उसकी ऐसे संस्मारक के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए, सभी युक्तियुक्त समयों पर, स्वयं या अपने अभिकर्ताओं, अधीनस्थों और कर्मकारों द्वारा संस्मारक का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए और ऐसी सामग्री लाने और ऐसे कार्य करने के प्रयोजन के लिए, जिन्हें वह उसके अनुरक्षण के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे, संस्मारक तक पहुंच होगी।

15. महानिदेशक किसी संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण के खर्च के निमित्त स्वच्छिक अभिदाय प्राप्त कर सकेगा और अपने द्वारा ऐसे प्राप्त की गई किन्हीं भी तिधियों के प्रबन्ध और उपयोजन के संबंध में आदेश दे सकेगा।

करारों का प्रवर्तन।

कतिपय विक्रयों के क्रताओं और स्वामी से व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों का स्वामी द्वारा निष्पादित लिखत से आबद्ध होना।

संरक्षित संस्मारकों का अर्जन।

कतिपय संरक्षित संस्मारकों का अनुरक्षण।

स्वच्छिक अभिदाय।

Provided that no contribution received under this section shall be applied to any purpose other than the purpose for which it was contributed.

Protection of place of worship from misuse, pollution or desecration.

16. (1) A protected monument maintained by the Central Government under this Act which is a place of worship or shrine shall not be used for any purpose inconsistent with its character.

(2) Where the Central Government has acquired a protected monument under section 13, or where the Director-General has purchased, or taken a lease or accepted a gift or bequest or assumed guardianship of a protected monument under section 5, and such monument or any part thereof is used for religious worship or observances by any community, the Collector shall make due provision for the protection of such monument or part thereof, from pollution or desecration—

- (a) by prohibiting the entry therein, except in accordance with the conditions prescribed with the concurrence of the persons, if any, in religious charge of the said monument or part thereof, of any person not entitled so to enter by the religious usages of the community by which the monument or part thereof is used, or
- (b) by taking such other action as he may think necessary in this behalf.

Relinquishment of Government rights in a monument.

17. With the sanction of the Central Government, the Director-General may,—

- (a) where rights have been acquired by the Director-General in respect of any monument under this Act by virtue of any sale, lease, gift or will, relinquish, by notification in the Official Gazette, the rights so acquired to the person who would for the time being be the owner of the monument if such rights had not been acquired; or
- (b) relinquish any guardianship of a monument which he has assumed under this Act.

Right of access to protected monuments.

18. Subject to any rules made under this Act, the public shall have a right of access to any protected monument.

#### PROTECTED AREAS

Restriction on enjoyment of property right in protected areas.

19. (1) No person, including the owner or occupier of a protected area, shall construct any building within the protected area or carry on any mining, quarrying, excavating, blasting or any operation of a like nature in such area, or utilise such area or any part thereof in any other manner without the permission of the Central Government:

परन्तु इस धारा के अधीन प्राप्त किया गया कोई अभिदाय उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए वह अभिदाय किया गया था, किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोजित नहीं किया जाएगा।

16. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई संस्मारक, जो पूजा का स्थान या पवित्र-स्थान है, अपने स्वरूप से असंगत किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

दुरुपयोग किए जाने प्रदूषित किए जाने या अपवित्र किए जाने से पूजा के स्थान का संरक्षण।

(2) जहां कि केन्द्रीय सरकार ने किसी संरक्षित संस्मारक को धारा 13 के अधीन अर्जित किया है, या जहां कि महानिदेशक ने धारा 5 के अधीन किसी संरक्षित संस्मारक का ऋय किया है या पट्टे पर लिया है या दान या वसीयत प्रति-गृहीत किया है या उसकी संरक्षकता संभाली है, और ऐसा संस्मारक या उसका कोई भाग धार्मिक पूजा या आचारों के लिए किसी समुदाय द्वारा उपयोग में लाया जाता है, वहां कलक्टर ऐसे संस्मारक या उसके भाग के प्रदूषित या अपवित्र किए जाने से संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रकार से सम्यक् उपबन्ध करेगा—

(क) उन शर्तों के अनुसार प्रवेश के सिवाय जो उक्त संस्मारक या उसके किसी भाग के धार्मिक भारसाधक व्यक्तियों की, यदि कोई हो, सहमति से विहित की गई हों, किसी ऐसे व्यक्ति का, जो उस समुदाय की, जिसके द्वारा वह संस्मारक या उसका कोई भाग उपयोग में लाया जाता हो, धार्मिक प्रथाओं द्वारा इस प्रकार प्रवेश करने का हकदार न हो, उसमें प्रवेश प्रतिषिद्ध करके, अथवा

(ख) कोई ऐसी अन्य कार्रवाई करके, जिसे वह इस निमित्त आवश्यक समझे।

17. केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से महानिदेशक,—

(क) जहां कि अधिकार महानिदेशक द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी संस्मारक के बारे में किसी विक्रय, पट्टा, दान या विल के आधार पर अर्जित किए गए हैं, वहां शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार अर्जित अधिकारों को उस व्यक्ति के पक्ष में त्याग सकेगा, जो संस्मारक का तत्समय स्वामी हुआ होता, यदि ऐसे अधिकार अर्जित न किए गए होते; अथवा

(ख) संस्मारक की कोई ऐसी संरक्षकता त्याग सकेगा जो उसने इस अधिनियम के अधीन संभाली है।

किसी संस्मारक में सरकार के अधिकारों का त्याग।

18. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्याधीन रहते हुए, जनता को किसी भी संरक्षित संस्मारक तक पहुंच का अधिकार होगा।

संरक्षित संस्मारकों तक पहुंच का अधिकार।

### संरक्षित क्षेत्र

19. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र का स्वामी या अधिभोगी भी है, संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भवन का सन्निर्माण या ऐसे क्षेत्र में कोई खनन, खदान क्रिया, उत्खनन, विस्फोट या इसी प्रकार की कोई संक्रिया नहीं करेगा और न केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग का उपयोग किसी अन्य रीति से करेगा:

संरक्षित क्षेत्रों में सम्पत्ति अधिकारों के उपभोग पर निर्बन्धन।

Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to prohibit the use of any such area or part thereof for purposes of cultivation if such cultivation does not involve the digging of not more than one foot of soil from the surface.

(2) The Central Government may, by order, direct that any building constructed by any person within a protected area in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be removed within a specified period and, if the person refuses or fails to comply with the order, the Collector may cause the building to be removed and the person shall be liable to pay the cost of such removal.

Power to acquire  
a protected area.

20. If the Central Government is of opinion that any protected area contains an ancient monument or antiquities of national interest and value, it may acquire such area under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, as if the acquisition were for a public purpose within the meaning of that Act.

#### ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS

Excavations  
protected areas.

21. An archaeological officer or an officer authorised by him in this behalf or any person holding a licence granted in this behalf under this Act (hereinafter referred to as the licensee) may, after giving notice in writing to the Collector and the owner, enter upon and make excavations in any protected area.

Excavations  
in areas other than  
protected areas.

22. Where an archaeological officer has reason to believe that any area not being a protected area contains ruins or relics of historical or archaeological importance, he or an officer authorised by him in this behalf may, after giving notice in writing to the Collector and the owner, enter upon and make excavations in the area.

Compulsory purchase of antiquities, etc., discovered during excavation operations.

23. (1) Where, as a result of any excavations made in any area under section 21 or section 22, any antiquities are discovered, the archaeological officer or the licensee, as the case may be, shall,—

(a) as soon as practicable, examine such antiquities and submit a report to the Central Government in such manner and containing such particulars as may be prescribed;

(b) at the conclusion of the excavation operations, give notice in writing to the owner of the land from which such antiquities have been discovered, of the nature of such antiquities.

(2) Until an order for the [compulsory acquisition] of any such antiquities is made under sub-section (3), the archaeological officer or the licensee, as the case may be, shall keep them in such safe custody as he may deem fit.

(3) On receipt of a report under sub-section (1), the Central Government may make an order for the [compulsory acquisition] of any such antiquities.]



परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात ऐसे किसी क्षेत्र या उसके भाग का खेती करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि ऐसी खेती में भूतल से एक फुट से अधिक मिट्टी का खोदना नहीं होता है।

(2) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि संरक्षित क्षेत्र के भीतर उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति द्वारा सन्निहित किसी भवन को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर हटा दिया जाए और यदि वह व्यक्ति आदेश के अनुपालन से इन्कार करता है या करने में असफल रहता है, तो कलक्टर उस निर्माण को हटवा सकेगा और वह व्यक्ति ऐसे हटाए जाने के खर्च के संदाय के लिए दायी होगा।

20. यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय हित और मूल्य का कोई प्राचीन संस्मारक या पुरावशेष है, तो वह ऐसे क्षेत्र का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन ऐसे कर सकेगी मानो वह अर्जन उस अधिनियम के अर्थ के भीतर लोक प्रयोजन के लिए है।

संरक्षित क्षेत्र को अर्जित करने की शक्ति।

1894 का ।

1894.

### पुरातत्त्ववीय उत्खनन

21. पुरातत्व अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति (जिसे एतस्मिन्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है), कलक्टर और स्वामी को लिखित सूचना देने के पश्चात् किसी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा और उसमें उत्खनन कर सकेगा।

संरक्षित क्षेत्रों में उत्खनन।

22. जहां कि पुरातत्व अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी क्षेत्र में, जो संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ऐतिहासिक या पुरातत्त्ववीय महत्व के भग्नावशेष या परिशेष हैं, वहां कलक्टर और स्वामी को लिखित सूचना देने के पश्चात् वह या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा और उसमें उत्खनन कर सकेगा।

संरक्षित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में उत्खनन।

23. (1) जहां कि धारा 21 या धारा 22 के अधीन किसी क्षेत्र में किए गए उत्खननों के परिणामस्वरूप किन्हीं पुरावशेषों का पता चलता है, वहां, यथास्थिति, पुरातत्व-अधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी,—

उन पुरावशेषों आदि का अनिवार्य क्रय जिनका पता उत्खनन संक्रियाओं के दौरान चलता है।

(क) यथासाध्य शीघ्र ऐसे पुरावशेषों की परीक्षा करेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी रीति से और ऐसी विशिष्टियों वाली रिपोर्ट निवेदित करेगा, जैसी विहित की जाएं;

(ख) उत्खनन संक्रियाओं की समाप्ति पर, उस भूमि के स्वामी को, जिसमें ऐसे पुरावशेषों का पता चला है, ऐसे पुरावशेषों की प्रकृति की लिखित सूचना देगा।

(2) जब तक कि उपधारा (3) के अधीन ऐसे पुरावशेषों के [अनिवार्य अर्जन] के लिए आदेश नहीं कर दिया जाता तब तक, यथास्थिति, पुरातत्व-अधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी उन्हें ऐसी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा, जैसी वह ठीक समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार [ऐसे किन्हीं पुरावशेषों के अनिवार्य अर्जन] के लिए आदेश कर सकेगी।

1. 1972 के अधिनियम संख्यांक 52 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) When an order for the [compulsory acquisition] of any antiquities is made under sub-section (3), such antiquities shall rest in the Central Government with effect from the date of the order.

Excavations, etc.,  
for archaeological  
purposes.

24. No State Government shall undertake or authorise any person to undertake any excavation or other like operation for archaeological purposes in any area which is not a protected area except with the previous approval of the Central Government and in accordance with such rules or directions, if any, as the Central Government may make or give in this behalf.

#### PROTECTION OF ANTIQUITIES

Power of Central  
Government to  
control moving of  
antiquities.

25. (1) If the Central Government considers that any antiquities or class of antiquities ought not to be moved from the place where they are without the sanction of the Central Government, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any such antiquity or any class of such antiquities shall not be moved except with the written permission of the Director-General.

(2) Every application for permission under sub-section (1) shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed.

(3) Any person aggrieved by an order refusing permission may appeal to the Central Government whose decision shall be final.

Purchase of anti-  
quities by Central  
Government.

26. (1) If the Central Government apprehends that any antiquity mentioned in a notification issued under sub-section (1) of section 25 is in danger of being destroyed, removed, injured, misused or allowed to fall into decay or is of opinion that, by reason of its historical or archaeological importance, it is desirable to preserve such antiquity in a public place, the Central Government may make an order for the [compulsory acquisition of such antiquity] and the Collector shall thereupon give notice to the owner of the antiquity [to be acquired].

(2) Where a notice of [compulsory acquisition] is issued under sub-section (1) in respect of any antiquity, such antiquity shall vest in the Central Government with effect from the date of the notice.

(3) The power of [compulsory acquisition] given by this section shall not extend to any image or symbol actually used for *bona fide* religious observances.

#### PRINCIPLES OF COMPENSATION

Compensation for  
loss or damage.

27. Any owner or occupier of land who has sustained any loss or damage or any diminution of profits from the land by reason of any entry on, or excavations in, such land or the exercise of any other power conferred by this Act shall be paid compensation by the Central Government for such loss, damage or diminution of profits.

1. Subs. by Act 52 of 1972, s. 33 (iv) (a).

(4) जब कि उपधारा (3) के अधीन किन्हीं पुरावशेषों के '[अनिवार्य अर्जन] के लिए आदेश किया जाता है, तो ऐसे पुरावशेष आदेश की तारीख को ओर से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएंगे।

24. कोई भी राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में, जो संरक्षित क्षेत्र नहीं है, पुरातत्त्वीय प्रयोजनों के लिए किसी उत्खनन या उसी प्रकार की अन्य संक्रिया का भार केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे नियमों या निदेशों के, यदि कोई हों, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए या दे, अनुसार लेने के सिवाय नहीं लेगी और न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा भार लेने के लिए प्राधिकृत करेगी।

पुरातत्त्वीय प्रयोजनों के लिए उत्खनन आदि।

### पुरावशेषों का संरक्षण

25. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि केन्द्रीय सरकार की मजूरी के बिना कोई पुरावशेष या पुरावशेष वर्ग उस स्थान से, जहां वे हैं, नहीं हटाए जाने चाहिए, तो केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह विवेक दे सकेगी कि ऐसा कोई पुरावशेष या ऐसा कोई पुरावशेष वर्ग महानिदेशक की लिखित अनुज्ञा से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जाएगा।

पुरावशेषों का हटाया जाना नियंत्रित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए हर आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा जैसा, और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जैसी विहित की जाएं।

(3) अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले आदेश से व्यथित व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से अपील कर सकेगा, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

26. (1) यदि केन्द्रीय सरकार को यह आशंका है कि धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना में वर्णित किसी पुरावशेष के नष्ट हो जाने, हटाए जाने, भत हो जाने, दुरुपयोग में लाए जाने या क्षयग्रस्त होने दिए जाने का खतरा है या उसकी यह राय है कि उसके ऐतिहासिक या पुरातत्त्वीय महत्व के कारण ऐसे पुरावशेष को लोक स्थान में परिरक्षित करना वांछनीय है, तो केन्द्रीय सरकार '[ऐसे पुरावशेष के अनिवार्य अर्जन] का आदेश कर सकेगी और तदुपरि कलक्टर '[अर्जित किए जाने वाले] पुरावशेष के स्वामी को सूचना देगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरावशेषों का क्रय।

(2) जहां कि किसी पुरावशेष के बारे में उपधारा (1) के अधीन '[अनिवार्य अर्जन] की सूचना दी जाती है, वहां ऐसा पुरावशेष सूचना की तारीख को ओर से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगा।

(3) इस धारा द्वारा दी गई अनिवार्य क्रय की शक्ति का विस्तार सद्भावी धार्मिक आचारों के लिए वस्तुतः उपयोग में लाई जाने वाली किसी प्रतिमा या प्रतीक पर न होगा।

### प्रतिकर के सिद्धान्त

27. भूमि के किसी स्वामी या अधिभोगी को, जिसे ऐसी भूमि पर प्रवेश या उत्खनन या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य शक्ति के प्रयोग के कारण कोई हानि, नुकसान या भूमि से होने वाले लाभों में कमी हुई है, ऐसी हानि, नुकसान या लाभों में कमी के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिकर संदत्त किया जाएगा।

हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर।

1. 1972 के अधिनियम संख्यांक 52 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित।

Assessment  
of market value  
of compensation.

28. (1) The market value of any property which the Central Government is empowered to purchase at such value under this Act or the compensation to be paid by the Central Government in respect of anything done under this Act shall, where any dispute arises in respect of such market value or compensation, be ascertained in the manner provided in sections 3, 5, 8 to 34, 45 to 47, 51 and 52 of the Land Acquisition Act, 1894, so far as they can be made applicable:

1 of 1894.

Provided that, when making an enquiry under the said Land Acquisition Act, the Collector shall be assisted by two assessors, one of whom shall be a competent person nominated by the Central Government and one a person nominated by the owner, or, in case the owner fails to nominate an assessor within such reasonable time as may be fixed by the Collector in this behalf, by the Collector.

[(2) For every antiquity in respect of which an order for compulsory acquisition has been made under sub-section (3) of section 23 or under sub-section (1) of section 26, there shall be paid compensation and the provisions of sections 20 and 22 of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 shall, so far as may be, apply in relation to the determination and payment of such compensation as they apply in relation to the determination and payment of compensation for any antiquity or art treasure compulsorily acquired under section 19 of that Act.]

#### MISCELLANEOUS

Delegation  
of powers.

29. The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any powers conferred on it by or under this Act shall, subject to such conditions as may be specified in the direction, be exercisable also by—

(a) such officer or authority subordinate to the Central Government, or

(b) such State Government or such officer or authority subordinate to the State Government,

as may be specified in the direction.

Penalties.

30. (1) Whoever—

(i) destroys, removes, inquires, alters, defaces, imperills or misuse a protected monument, or

(ii) being the owner or occupier of a protected monument, contravenes an order made under sub-section (1) of section 9 or under sub-section (1) of section 10, or

(iii) removes from a protected monument any sculpture, carving, image, bas-relief, inscription, or other like object, or

28. (1) जहां किसी ऐसी सम्पत्ति के बाजार-भाव के, जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन ऐसे भाव पर क्रय करने के लिए सशक्त है या उस प्रतिकर के जो इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त किया जाना है, बारे में कोई विवाद उद्भूत होता है वहां, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धाराओं 3, 5, 8 से 34, 45 से 47, 51 और 52 में जहां तक कि उन्हें लागू किया जा सके, उपबंधित रीति से अभिनिश्चित किया जाएगा :

बाजार-भाव या प्रतिकर का निर्धारण ।

1894 का 1

परन्तु उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन जांच करते समय कलक्टर की सहायता दो असेसर, जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित सक्षम व्यक्ति होगा और एक स्वामी द्वारा, या स्वामी के ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो कलक्टर द्वारा इस निमित्त नियत किया जाए, असेसर नामनिर्देशित करने में असफल रहने की दशा में कलक्टर द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति होगा, करेंगे:

[(2) प्रत्येक पुरावशेष के लिए, जिसकी बाबत धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन अनिवार्य अर्जन का आदेश किया गया है, प्रतिकर संदत्त किया जाएगा और ऐसे प्रतिकर के अवधारण और संदाय के संबंध में पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की धारा 20 और 22 के उपबंध, यावत्शक्य, उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन अनिवार्यतः अर्जित किसी पुरावशेष या बहुमूल्य कलाकृति के लिए प्रतिकर के अवधारण और संदाय के संबंध में लागू होते हैं।]

1972 का 52

### प्रकीर्ण

29. केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त की गई कोई भी शक्तियां, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं—

शक्तियों का प्रत्या-योजन ।

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी, अथवा

(ख) ऐसी राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी,

जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए,

प्रयोज्य होंगी ।

30. (1) जो कोई—

(i) किसी संरक्षित संस्मारक को नष्ट करेगा, हटाएगा, क्षत करेगा, परिवर्तित करेगा, विरूपित करेगा, खतरे में डालेगा या उसका दुरुपयोग करेगा, अथवा

शास्तियां ।

(ii) किसी संरक्षित संस्मारक का स्वामी या अधिभोगी होते हुए धारा 9 की उपधारा (1) या धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन करेगा, अथवा

(iii) किसी संरक्षित संस्मारक से कोई रूपकृति, नक्काशी, प्रतिमा, निम्न-उद्भूति, उत्कीर्ण लेख या इसी प्रकार की कोई अन्य वस्तु हटाएगा, अथवा

1. 1972 के अधिनियम संख्यांक 52 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित ।

ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

ASI

DELHI CIRCLE

Acc. No. 41.85

Date. 7-4-80

Call No. 913.081

(iv) does any act in contravention of sub-section (1) of section 19, shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

(2) Any person who moves any antiquity in contravention of a notification issued under sub-section (1) of section 25 shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees; and the court convicting a person of any such contravention may by order direct such person to restore the antiquity to the place from which it was moved.

Jurisdiction to try offences,

31. No court inferior to that of a presidency magistrate or a magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

Certain offences to be cognizable.

32. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, an offence under clause (i) or clause (iii) of sub-section (1) of section 30, shall be deemed to be a cognizable offence within the meaning of that Code.

Special provision regarding fine.

33. Notwithstanding anything contained in section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1898, it shall be lawful for any magistrate of the first class specially empowered by the State Government in this behalf and for any presidency magistrate to pass a sentence of fine exceeding two thousand rupees on any person convicted of an offence which under this Act is punishable with fine exceeding two thousand rupees.

Recovery of amounts due to the Government.

34. Any amount due to the Government from any person under this Act may, on a certificate issued by the Director-General or an archaeological officer authorised by him in this behalf be recovered in the same manner as an arrear of land revenue.

Ancient monuments, etc., which have ceased to be of national importance.

35. If the Central Government is of opinion that any ancient and historical monument or archaeological site and remains declared to be of national importance by or under this Act has ceased to be of national importance, it may, by notification in the Official Gazette, declare that the ancient and historical monument or archaeological site and remains, as the case may be, has ceased to be of national importance for the purposes of this Act.

Power to correct mistakes, etc.

36. Any clerical mistake, patent error or error arising from accidental slip or omission in the description of any ancient monument or archaeological site and remains declared to be of national importance by or under this Act may, at any time, be corrected by the Central Government by notification in the Official Gazette.

Protection of action taken under the Act.

37. No suit for compensation and no criminal proceeding shall lie against any public servant in respect of any act done or in good faith intended to be done in the exercise of any power conferred by this Act.

(iv) धारा 19 की उपधारा (1) के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा, वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई व्यक्ति, धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना के उल्लंघन में किसी पुरावशेष को हटाएगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, और किसी ऐसे उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति को आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह उस पुरावशेष को उस स्थान पर पुनरुद्धार करे जहां से वह हटाया गया था।

31. प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अपराधों के विचारण की अधिकारिता।

1898 का 5

32. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह है कि धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (iii) के अधीन का अपराध उस संहिता के अर्थ के भीतर संज्ञेय अपराध समझा जाएगा।

कतिपय अपराधों का संज्ञेय होना।

1898 का 5

33. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 32 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह है कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त प्रथम वर्ग के किसी मजिस्ट्रेट के लिए और किसी प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे अपराध के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन दो हजार रुपए से अधिक के जुर्माने से दण्डनीय है, दोषसिद्ध किए गए किसी व्यक्ति पर दो हजार रुपए से अधिक जुर्माने का दण्डादेश पारित करे।

जुर्माने के संबंध में विशेष उपबंध।

34. इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति से सरकार को शोध्य कोई रकम, महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुरातत्त्व अधिकारी द्वारा लिए गए प्रमाणपत्र पर, ऐसी ही रीति से वसूल की जाएगी जैसे भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

सरकार को शोध्य रकमों की वसूली

35. यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष जिसका इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है, राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह गया है, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि, यथास्थिति, वह प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह गया है।

प्राचीन संस्मारक आदि जो राष्ट्रीय महत्व के नहीं रह गए हैं।

36. इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए किसी प्राचीन संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष के वर्णन में कोई लिपिकीय भूल, प्रत्यक्ष गलती या आकस्मिक भूल या लोप से उद्भूत कोई गलती, केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी।

भूलों, आदि को शुद्ध करने की शक्ति।

37. प्रतिकर के लिए कोई भी वाद तथा कोई भी दाण्डिक कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त की गई किसी शक्ति के प्रयोग में किए गए या सद्भावपूर्वक किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के बारे में किसी लोक सेवक के विरुद्ध न होगी।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए परित्याग।

Power to make rules.

38. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the prohibition or regulation by licensing or otherwise of mining, quarrying, excavating, blasting or any operation of a like nature near a protected monument or the construction of buildings on land adjoining such monument and the removal of unauthorised buildings;
- (b) the grant of licences and permissions to make excavations for archaeological purposes in protected areas, the authorities by whom, and the restrictions and conditions subject to which, such licences may be granted, the taking of securities from licensees and the fees that may be charged for such licences;
- (c) the right of access of the public to a protected monument and the fee, if any, to be charged therefor;
- (d) the form and contents of the report of an archaeological officer or a licensee under clause (a) of sub-section (1) of section 23;
- (e) the form in which applications for permission under section 19 or section 25 may be made and the particulars which they should contain;
- (f) the form and manner of preferring appeals under this Act and the time within which they may be preferred;
- (g) the manner of service of any order or notice under this Act;
- (h) the manner in which excavations and other like operations for archaeological purposes may be carried on;
- (i) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) Any rule made under this section may provide that a breach thereof shall be punishable,—

- (i) in the case of a rule made with reference to clause (a) of sub-section (2), with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
- (ii) in the case of a rule made with reference to clause (b) of sub-section (2), with fine which may extend to five thousand rupees;
- (iii) in the case of a rule made with reference to clause (c) of sub-section (2), with fine which may extend to five hundred rupees.



(4) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days before each House of Parliament as soon as possible after they are made, and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following,


Repeals and savings.

39. (1) The Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Act, 1951, and section 126 of the States Reorganisation Act, 1956, are hereby repealed.

(2) The Ancient Monuments Preservation Act, 1904, shall cease to have effect in relation to ancient and historical monuments and archaeological sites and remains declared by or under this Act to be of national importance, except as respects things done or omitted to be done before the commencement of this Act.



4185



Handwritten signature or initials at the bottom left.